न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 154 / 2023

अनवान : –

1. महेन्द्र पुत्र स्व. खींवसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. अमरसिंह पुत्र बृजलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
3. कृष्णा पुत्री बृजलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
4. किस्तुरी देवी पत्नि बृजलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
5. निर्मला पुत्री बृजलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
6. प्रभुदयाल पुत्र बृजलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
7. प्रेमसिंह पुत्र खींवसिंह जाति राजपूत निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
8. पुरुषोतम पुत्र बृजलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
9. पुष्पा पुत्री बृजलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
10. भगवन्ती पुत्री बृजलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
11. भीखसिंह पुत्र खींवसिंह जाति राजपुत निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
12. महेन्द्र पुत्र बृजलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
13. सन्तोष कुमार पुत्र बृजलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
14. विनोद पत्नि स्व. राजेन्द्र पुत्र खींवसिंह जाति राजपुत निवासी चक 25 एन.टी. आर. तहसील नोहर
15. गोपाल पुत्र स्व. राजेन्द्र जाति राजपुत निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
16. अनु पुत्री राजेन्द्र पुत्र खींवसिंह जाति राजपुत निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
17. अंकिता पुत्री राजेन्द्र पुत्र खींवसिंह जाति राजपुत निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर
18. आरती पुत्री राजेन्द्र पुत्री खींवसिंह जाति राजपुत निवासी चक 25 एन.टी.आर. तहसील नोहर

– सायलान

बनाम्

1. नवीनकुमार पुत्र नंदकिशोर महेश्वरी निवासी गणेश चौक नोहर तहसील नोहर
2. सीताराम पुत्र औकारमल पुत्र गोपाल जाति नागल निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
3. गिरदावरी पुत्री औकारमल जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर
4. आनन्दी पुत्री औकारमल जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर
5. भागी पुत्री औकारमल जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर
6. माया पुत्री औकारमल जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर
7. उर्मिला पुत्री औकारमल जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर
8. चंचल पुत्री चांदमल पुत्र औकारमल जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर
9. साहिल पुत्र चांदमल पुत्र औकारमल जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर
10. पूजा पुत्री चांदमल पुत्र औकारमल जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:35:17 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

11. कान्ता पत्नि ओमप्रकाश जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर
12. धर्मेचन्द स्व. ओमप्रकाश जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर
13. मीट्टो पुत्री ओमप्रकाश जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर
14. बेबी पुत्री ओमप्रकाश जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर
15. गुडडी पत्नि सोहनलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एन.टी.आर तहसील नोहर
16. गीता देवी पुत्री छगनलाल जाति नागल निवासी चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर
17. जसबीर कौर पत्नि इकबाल सिंह जाति जटसिंख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नाहेर
18. मखनसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
19. सुनीता पत्नि स्व. अनिल पुत्र मनोहरलाल जाति नागल निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
20. मोनु पुत्र स्व. अनिल पुत्र स्व. मनोहरलाल जाति नागल निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
21. ज्योति पुत्री स्व. अनिल पुत्र स्व. मनोहरलाल जाति नागल निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
22. पिंकी पुत्री स्व. अनिल पुत्र स्व. मनोहरलाल जाति नागल निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
23. सुशील पुत्र स्व. मनोहर जाति नागल निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
24. मन्जु पुत्री स्व. मनोहरलाल जाति नागल निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
25. कमला पुत्री स्व. मनोहरलाल जाति नागल निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
26. मुकेश पुत्र मुरारीलाल जाति नागल निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
27. अन्ना पुत्र मुरारीलाल जाति नागल निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
28. मीनु पुत्री मुरारीलाल जाति नागल निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
29. रूपा पुत्री मुरारीलाल जाति नागल निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
30. मीठूसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिंख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर
31. रमेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी चक 25 एन.टी.आर तहसील नोहर
32. राजकुमार पुत्र छगनलाल जाति नागल पंचायत समिति के पिछे नोहर तहसील नोहर
33. राजकुमारी पुत्री छगनलाल जाति नागल निवासी पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर
34. श्रवण जीत कौर पत्नि लखवीरसिंह चक 22 एनटीआर तहसील नोहर
35. निखलेश पुत्र श्री कृष्ण जाति नागल निवासी पंचायत समिति के पिछे नोहर तहसील नोहर
36. विपिन पुत्र श्रीकृष्ण जाति नागल निवासी पंचायत समिति के पिछे नोहर तहसील नोहर
37. अनु पत्नि श्रीकृष्ण जाति नागल निवासी पंचायत समिति के पिछे नोहर तहसील नोहर
38. शारदा पुत्री छगनलाल जाति नागल निवासी पंचायत समिति के पिछे नोहर तहसील नोहर
39. शोभासिंह पुत्र बलवीर[illegible] पंचायत समिति के पिछे नोहर तहसील नोहर
40. समरजीत कौर पत्नि ज[illegible] चक 22 एनटीआर
41. सुशील कुमार पुत्र छगनलाल जाति ना[illegible] निवासी पंचायत समिति के पिछे नोहर तहसील नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:35:17 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
43. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
44. अशोक कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।

— **गैरसायलान**

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :— 1. श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांकः 30/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 37/23 की कुल 5.9080 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर से तथा उक्त भूमि संयुक्त दर्ज रहने से भूमि के कब्जा काश्त व लगान बाबत सायलान व गैरसायलान का लड़ाई झगड़ा रहता है उक्त भूमि नोहर–भादरा मुख्य रोड़ पर है तथा बेशकिमती भूमि है सायलान के कब्जा काश्त की भूमि है वह गैरसायलान की अपेक्षा कम उपजाउ है एवं हक हिस्सा अनुसार फ्रंट पर भी नही है गैरसालयान ने राजमार्ग पर अधिक फ्रंट ले रखा है जिससे सायलान की भूमि की किमत गैरसायलान की भूमि की अपेक्षा काफी कम है। गैरसायलान उक्त संयुक्त खाता की भूमि को बेचान कर रहे है अशोक कुमार पुत्र महावीर सैनी ने दिनांक 07.06.2023 को 0.0306 हैक्ट भूमि उक्त भूमि में से खरीद कर अब सायलान की भूमि पर काबिज होना चाहता हैं सायलान व गैरसायलान का फ्रंट व सींव, डोल संबंधि तानाजात रहता है गैरसायलान मुख्य सड़क पर स्थायी निर्माण करना चाहते है एवं सड़क के लगती हुई भूमि को बेचान करना चाहते है यदि गैरसायलान अपने मकसद मे कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व लगान अलग न हो तब तक रहन, बैय व मुन्तकील ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 37/23 की कुल 5.9080 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1, 2 व 15 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बावजूद उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाते की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:35:17 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे उक्त भूमि का करीब 30–40 वर्ष पूर्व ही बाहमी बंटवारा कर लिया था एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी काश्तकार काबिज है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर से तथा उक्त भूमि संयुक्त दर्ज रहने से भूमि के कब्जा काश्त व लगान बाबत सायलान व गैरसायलान का लड़ाई झगड़ा रहता है उक्त भूमि नोहर–भादरा मुख्य रोड़ पर है तथा बेशकिमती भूमि है सायलान के कब्जा काश्त की भूमि है वह गैरसायलान की अपेक्षा कम उपजाउ है एवं हक हिस्सा अनुसार फ्रंट पर भी नही है गैरसालयान ने राजमार्ग पर अधिक फ्रंट ले रखा है जिससे सायलान की भूमि की किमत गैरसायलान की भूमि की अपेक्षा काफी कम है। गैरसायलान उक्त संयुक्त खाता की भूमि को बेचान कर रहे है अशोक कुमार पुत्र महावीर सैनी ने दिनांक 07.06.2023 को 0.0306 हैक्ट भूमि उक्त भूमि में से खरीद कर अब सायलान की भूमि पर काबिज होना चाहता हैं सायलान व गैरसायलान का फ्रंट व सींव, डोल संबंधि तानाजात रहता है गैरसायलान मुख्य सड़क पर स्थायी निर्माण करना चाहते है एवं सड़क के लगती हुई भूमि को बेचान करना चाहते है यदि गैरसायलान अपने मकसद मे कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे उक्त भूमि का करीब 30–40 वर्ष पूर्व ही बाहमी बंटवारा कर लिया था एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी काश्तकार काबिज है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 37/23 की कुल 5.9080 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अ[illegible] सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी वि[illegible] भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:35:17 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 22.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:35:17 IST
Reason: SelfAttested